

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय सहायक कलेक्टर राशमी

मुकाम

राशमी

लालुराम

बनाम

गेरू वगैराह

किस्मा मुकदमा

राजस्व वाद

नं० 38

सन्

2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/08/18	<p>राजस्व वाद पत्र बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता वादी एसएल चौधरी हाजिर। वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के जरिये सम्मन तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते जवाब दावा दिनांक 06.08.2018 को पेश हो।</p> <p>4/9/18 (पकज शर्मा) सहायक कलेक्टर, (उपखण्ड अधिकारी) राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़</p> <p>06/08/18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <del>...</del> दिनांक 04.09.18... को पेश हो।</p> <p>24/09/18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <del>...</del> दिनांक 24.10.18... को पेश हो।</p> <p>24-10-18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <del>...</del> दिनांक 12.11.18... को पेश हो।</p> <p>12/11/18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/दीगर/दौरे कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते <del>...</del> दिनांक 27/02/19... को पेश हो।</p>	<p>Boji</p>
15/01/19	<p>अधिवक्ता वाडि वे सिविल पर पत्रावली सिविल से तलब की गई। पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वाडि हाजिर। वाजिर अधिवक्ता वाडि ने प्रार्थना पत्र पेश कर सिविल क्रिया की प्रकृष्ट में वाडिवाक कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः प्रकृष्ट को डाय किया जावे। प्रार्थना पत्र 10/01/19 को पेश की</p>	<p>Notar Public 15/01/19</p> <p>अधिवक्ता वाडि सिविल से तलब की गई वाडि वाडि</p>

(बनवारी लाल)  
सहायक कलेक्टर,  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>हमने पञ्जाबली का अबलोकन किया /          फि वडी क्रमरमा । से ५ तक की ओर से          पुर्व में अधिवक्ता मनोहर गोस्वामी ने          अधिवक्ता पत्र पेश किया जो शां ० का है          रिपोर्ट पर लिया जाता है। धर्मे अधि          वक्ता ने आड रिपोर्ट पर NOT PRESS          अंकित किया। हमने पञ्जाबली का अबलोकन          किया। मनम किया। वडी वण स्वम अपना          पाह पत्र मही चलाया चाहते हैं। ऐसी          स्थिति में अधिवक्ता वडी धारा ५ सुत          प्रायेण पत्र बाबत कार्यवाही किने को          करी कर किया जाता है। वडी वण का          वाह पत्र बाबत खाते डारी घो वला          इन्ड्रज फुवस्ती एवं स्थारि निवेद पत्र          को विट्रोल में खरीज किया जाता है।          पञ्जाबली कैसल सुमार हो कर नम्बर से          कम है। पञ्जाबली बाड ठिवा सुमारी          वरखिल दालर रहे। आडिया सुनाय्य वर।</p>	<p>कार्यवाही किने          स्वीकृत है          मन्थ</p> <p>(बनवारी लाल)          सहायक कलेक्टर,          (उपखण्ड अधिकारी)          राशमी</p>

